संख्या-2/2019/1/3/96-का-4-2019

प्रेषक,

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 28 मई, 2019

विषय:-सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति ।

महोदय,

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में पूर्व में जारी स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश संख्या-3/2018/1/3/96-का-4-2018 दिनांक 29 मार्च 2018 के द्वारा सत्र 2018-2019 से 2021-22 के लिए स्थानान्तरण नीति निर्धारित की गयी थी । वर्ष 2019-2020 में लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 के दृष्टिगत स्थानान्तरण सत्र 2019-20 के लिये उक्त स्थानान्तरण नीति दिनांक 29 मार्च 2018 के प्रस्तर 8, 9 एवं 10 में निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है-

8. शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण, स्थानान्तरण सत्र 2019-20 में 30 जून 2019 तक पूर्ण कर लिये जायें।

9. स्थानान्तरण सत्र 2019-20 में 30 जून 2019 के उपरान्त समूह 'क' के कार्मिकों के संबंध में मा. विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर स्थानान्तरण करना अनुमन्य होगा। समूह 'ख' के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु मा. विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन तथा समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके ही स्थानान्तरण करना अनुमन्य होगा।

10. यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं यथा स्थानान्तरण समय में परिवर्तन भौगोलिक आवश्यकताओं अथवा किसी विशिष्ट योजना के संदर्भ में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो, तो 15 जून 2019 तक मा. विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

उपरोक्त व्यवस्था मात्र स्थानान्तरण सत्र 2019-20 के लिये है, अन्य आगामी स्थानान्तरण सत्रों 2020-21 से 2021-22 के लिये स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश संख्या-3/2018/1/3/96-का-4-2018 दिनांक 29 मार्च 2018 के उपबंध यथावत लागू रहेंगे ।

भवदीय,

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1/3/96(1)-का-4-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल जी।
2. सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव

http://Shasanadesh.up.nic.in